दिनांक 14–09–2012 को मुख्य सचिवालय स्थित सभागार में मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में सुखाड़ में सिंचाई हेतु बिजली आपूत्ति, खराब वितरण ट्रांसफार्मरों को बदलने एवं अन्य समस्याओं के संबंध में सभी जिलाधिकारियों, प्रभारी प्रधान सचिव एवं बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के पदाधिकारियों के साथ विडियो कॉफ्रेन्सिंग की कार्यवाही।

1. **उपस्थिति : (संलग्न)**
2. सर्वप्रथम मुख्य सचिव, बिहार ने बताया कि 07–09–2012 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय सभी जिलाधिकारियों के साथ विडियो कॉफ्रेन्सिंग कर जिला में चलाये जा रहे कार्यक्रमों की समीक्षा की थी। समीक्षा के दौरान कई जिलाधिकारियों द्वारा बिजली की समस्याओं की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया था। माननीय मुख्यमंत्री ने पाया कि बिजली की अनेकों समस्याएँ है जिनके बारे में वृह्द पैमाने पर चर्चा की आवश्यकता है। अतः उन्होंने निदेश दिया कि मुख्य सचिव, विकास आयुक्त, प्रधान सचिव (ऊर्जा), बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के अध्यक्ष एवं सभी सदस्य एवं विद्युत बोर्ड के सभी महाप्रबन्धक–सह–मुख्य अभियन्ता के साथ सभी जिलाधिकारियों एवं विद्युत बोर्ड के स्थानीय पदाधिकारियों के साथ विडियो कॉफ्रेन्सिंग कर बिजली की समस्याओं का निराकरण के लिए कार्य योजना बनाकर कार्यान्वयन किया जाना है। इस तरह का विडियो कॉफ्रेन्सिंग नियमित रूप से किया जाना है तथा विडियो कॉफ्रेन्सिंग में जिला के प्रभारी प्रधान सचिव भी भाग लेंगे।
3. मुख्य सचिव ने कहा कि बिजली सरकार की पहली प्राथमिकता है। आज जो बिजली की समस्याएँ हैं उनमें अधिकांश वितरण क्षेत्र से संबंधित है। जिला स्तर पर टास्क फोर्स की नियमित बैठक कर बिजली की समस्याओं का निदान कराया जाना है। यदि किसी समस्या का निदान बोर्ड के क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा नहीं किया जा रहा हो तो उस समस्या की ओर विद्युत बोर्ड के अध्यक्ष एवं मुख्य सचिव का ध्यान आकृष्ट कराया जाना है। इस तरह 5–6 महीने तक लगातार विडियो कॉफ्रेन्सिंग होगा तो निश्चित रूप से बिजली की समस्याएँ दूर होगी और विद्युत वितरण में सुधार होगा।
4. मुख्य सचिव ने कहा कि सुखाड़ की वर्त्तमान स्थिति को ध्यान में रख कर राज्य सरकार के निर्देशानुसार बिहार राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा प्रत्येक जिला के ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई हेतु विद्युत आपूर्त्ति निर्धारित अवधि में जुलाई, 2012 से किया जा रहा है। परन्तु निर्धारित अवधि में निर्बाध रूप से बिजली की आपूर्त्ति सिंचाई हेतु सभी ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं हो पा रही है। जिलाधिकारी स्तर पर बोर्ड के विद्युत कार्यपालक अभियन्ता से ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्त्ति के संबंध में प्रतिदिन रिपोर्ट लिया जाना है। सिंचाई हेतु निर्धारित अवधि में बिजली आपूर्त्ति संबंधी सूचना सरकारी तंत्र यथा प्रखंड मुख्यालय, लघु जल संसाधन विभाग, पंचायत इत्यादि से जिलाधिकारी प्राप्त करेंगे। सरकारी नलकूपों के लिए बिजली की उपलब्धता की सही जानकारी के लिए पम्प ऑपरेटरों द्वारा लॉग–बुक भरा जाना है। जिलाधिकारी द्वारा टास्क फोर्स की

बैठक में विद्युत बोर्ड के स्थानीय पदाधिकारी का ध्यान विद्युत आपूर्त्ति में आ रही समस्याओं की ओर आकृष्ट कराना है।

5. RIDF फेज–XI में लघु जल संसाधन विभाग के कुछ छिद्रित नलकूप का ऊर्जान्वयन किया जा चुका है, जिससे अच्छी सिंचाई हो रही है। फेज–XI के सरकारी नलकूपों के ऊर्जान्वयन एवं उसके ठीक से काम करने पर केन्द्रित प्रयास किया जाना है, ताकि सिंचाई सुविधा बढ़ सके। फेज–XI के सरकारी नलकूपों को ऊर्जान्वित करने संबंधी विद्युत बोर्ड एवं लघु जल संसाधन विभाग के रिपोर्ट में काफी अन्तर है। मुख्य सचिव द्वारा जिलाधिकारियों को निदेश दिया गया कि जिला स्तर पर इसका संयुक्त सत्यापन करा कर बोर्ड एवं लघु जल संसाधन विभाग के रिपोर्ट के अन्तर को दूर किया जाना है। राज्य में वर्षापात कम होने के कारण सुखाड़ की स्थिति है। राज्य के पन्द्रह जिलों में सुखाड़ की स्थिति भयावह है और स्थिति दिनोदिन बिगड़ रही है अतः हमें सिंचाई के साधन को कार्यरत रखना है। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या है। पेय जल आपूर्त्ति पम्प जो विद्युत चालित है, उनकी विद्युत आपूर्ति पर भी विशेष ध्यान रखा जाना है।

6. बिहार राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा संचरण क्षेत्र के विस्तार कार्य हेतु एवं पावर प्लान्ट लगाने हेतु कई जगह जमीन की आवश्यकता है जिसके लिए जिलाधिकारी से मदद की जरूरत है। ट्रान्सफॉरमर, तार एवं अन्य उपकरणों की चोरी को रोकने के लिए भी जिला प्रशासन की मदद की जरूरत है। बिजली की चोरी के मामले पर भी सख्त कार्रवाई की जानी है। बिजली की चोरी की सूचना मिलते ही आरक्षी अधीक्षक द्वारा बोर्ड के पदाधिकारियों से मिलकर छापा मारा जाना है तथा बिजली चोरों को पकड़ा जाना है।

7. खराब वितरण ट्रान्सफॉरमर को बदलने की समस्या काफी गंभीर है चाहे वह सरकारी नलकूप का ट्रान्सफॉरमर हो या सामान्य उपभोक्ताओं का। सरकार चाहती है कि सभी सरकारी/निजी नलकूप चालू स्थिति में हो ताकि निर्बाध रूप से सिंचाई होती रहे। निर्धारित समयावधि में जले/खराब ट्रान्सफॉरमरों को बदला जाना है। सभी जिलाधिकारी नियमित रूप से विद्युत बोर्ड के स्थानीय पदाधिकारियों से जले ट्रांसफार्मर एवं बदले गए ट्रांसफार्मर का पूरा विवरण लें। साथ ही साथ इसका रिपोर्ट आम उपभोक्ताओं से भी प्राप्त करें। बोर्ड के अधिकारियों द्वारा जो अनुपालन मिलता है उसकी सत्यता की जाँच भी की जानी है। जले हुए ट्रान्सफॉरमर बदले जाने में पैसे लिये जाने की सूचना मिली है। शिकायत है कि बोर्ड के क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा इस कार्य के लिए दलाल रखा गया है। इस संबंध में सचेत रहना है कि ट्रान्सफॉरमर बदलने में दलाली ना हो तथा पैसा नहीं लिया जाय। ट्रान्सफॉरमर बदलने में दलाली की सूचना मिलती है तो आरक्षी अधीक्षक को तुरत जाँच के लिए कहा जाना है। यदि जाँच के दरम्यान विद्युत बोर्ड के पदाधिकारियों की संलिप्तता पायी जाती है तो संबंधित पदाधिकारी एवं दलालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी है।

8. अध्यक्ष, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड ने बताया कि preventive measures के अभाव में यथा ट्रान्सफॉरमर में तेल की कमी, अर्थिंग की समस्या, हर फेज में लोड बैलेंसिंग नहीं होना, प्रोपर फ्यूज का इस्तेमाल नहीं किया जाना, ट्रान्सफॉरमर खराब होने का incidence बहुत ज्यादा है। बोर्ड द्वारा सभी क्षेत्रीय पदाधिकारियों को preventive measures के संबंध में बोर्ड के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाना है। बोर्ड द्वारा मुख्यालय स्तर पर एक हेल्पलाईन खोली गयी है जिससे बिजली की समस्याओं के संबंध में उपभोक्ताओं से जानकारी प्राप्त हो रही है। ट्रान्सफॉरमर के भंडार का विकेन्द्रीकरण किया जा रहा है। जले ट्रान्सफॉरमर को शीघ्र बदले जाने के लिए ट्रांसफार्मर रिपेयर वर्कशॉप की संख्या बढ़ाई जानी है। जहाँ विद्युत बोर्ड का जमीन उपलब्ध है वैसे सात जगहों पर टी0आर0डब्ल्यू0 खोलने का प्रस्ताव शीघ्र प्रोसेस किया जाना है। अध्यक्ष, विद्युत बोर्ड द्वारा बताया गया कि बोर्ड के सभी पदाधिकारियों के साथ बोर्ड के मिशन एरिया के संबंध में विचार मंथन कर एक "माईक्रो मैनेजमेंट बुक–लेट" तैयार किया गया है जिसमें ट्रान्सफॉरमर बदलने के संबंध में कार्य–योजना तैयार की गई है। ट्रान्सफॉरमर जलने/खराब होने की स्थिति में संबंधित सहायक विद्युत अभियन्ता/कनीय विद्युत अभियन्ता को निश्चित रूप से स्थल पर जाकर तकनीकी जाँच की जानी है। वहाँ जाकर उपभोक्ताओं को बताया जाना है कि जले/खराब ट्रान्सफॉरमर बदले जाने के लिए आवश्यक खर्च का वहन बोर्ड द्वारा किया जा रहा है। बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के वेबसाईट (www.bseb.bih.nic.in) पर ट्रान्सफॉरमर जलने एवं उसे बदलने संबंधी अद्यतन सूचनाएँ उपलब्ध रहती है। अधिक क्षमता के ट्रान्सफॉरमर एवं अतिरिक्त ट्रान्सफॉरमर लगाने हेतु एक चेक–लिस्ट बोर्ड के क्षेत्रीय पदाधिकारियों को बोर्ड मुख्यालय द्वारा भेजा गया है एवं चेक–लिस्ट के अनुसार औचित्य के आधार पर निर्णय लिया जाना है।

9. शिवहर जिलाः

9.1 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि शिवहर जिला में 100 के0वी0ए0 के 05 एवं 63 के0वी0ए0 के 02 ट्रान्सफॉरमर कई दिनों से खराब हैं, जिसे जल्द बदला जाना है। विद्युत कार्यपालक अभियन्ता, सीतामढ़ी द्वारा ट्रान्सफॉरमर एवं ट्रान्सपोर्टर एजेन्सी की अनुपलब्धता बताया गया जिसके कारण ट्रान्सफॉरमर नहीं बदला जा सका। यह भी बताया गया कि बोर्ड द्वारा निर्धारित दर पर ट्रान्सपोर्टर एजेन्सी कार्य करने के लिए तैयार नहीं है। प्रधान सचिव (ऊर्जा) ने बोर्ड द्वारा ट्रान्सफॉरमर ट्रान्सपोर्टेशन संबंधी समस्या का शीघ्र निदान तथा महाप्रबन्धक–सह–मुख्य अभियन्ता को आर्थिक शक्ति दिये जाने संबंधी निर्णय लेने का निदेश दिया गया। प्रधान सचिव (ऊर्जा) ने ट्रान्सफॉरमर आंवटन की प्रक्रिया का सरलीकरण एवं विकेन्द्रीकरण पर बोर्ड को विचार कर आवश्यक निर्णय के लिए कहा। खराब ट्रान्सफॉरमर बदलने हेतु first come- first serve की policy बोर्ड द्वारा अपनाया जाना है।

9.2 शिवहर जिला में सिंचाई हेतु अपराह्न 12.00 बजे से सायं 05.00 बजे तक बिजली की निर्बाध आपूर्त्ति हेतु समय निर्धारित है। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि सिंचाई हेतु औसतन 4–5 घण्टे बिजली की आपूर्त्ति होती है परन्तु बीच–बीच में कई जगहों पर ट्रिपिंग की समस्या होती है। अध्यक्ष, विद्युत बोर्ड द्वारा विद्युत कार्यपालक अभियन्ता, सीतामढ़ी को शिवहर में कैम्प कर समस्या–ग्रस्त क्षेत्रों के लाईन में गड़बड़ी को ठीक करने का निदेश दिया गया। मुख्य सचिव द्वारा चिंता जतायी गयी कि बोर्ड के क्षेत्रीय पदाधिकारी अपने कार्य के प्रति सचेत एवं जागरूक नहीं हैं तथा निदेश दिया गया कि बोर्ड के पदाधिकारी अपनी जिम्मेवारी समझे एवं आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करें। बोर्ड के उच्चाधिकारियों द्वारा क्षेत्रीय पदाधिकारियों के कार्यकलाप की गहन समीक्षा की जानी है तथा कोताही की स्थिति में कठोर अनुशासनिक कार्रवाई की जानी है।

9.3 नाबार्ड फेज–XI के अन्तर्गत 30 सरकारी नलकूप लगाये जाने हैं जिनमें से 14 जगहों पर असैनिक कार्य पूरा हो गया है। मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को निदेश दिया कि वे इस बात की समीक्षा करेंगे कि उनके जिले में कितने सरकारी नलकूप फेज–XI में लगाये जाने हैं, कितने में असैनिक कार्य हो गया है तथा कितने में बिहार राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा बिजली कनेक्शन दे दिये जाने का रिपोर्ट है, उसका संयुक्त सत्यापन हुआ है या नहीं, कितने नलकूप बंद हैं, किस दोष के कारण बंद हैं, यदि मेकेनिकल दोष है तो लघु जल संसाधन विभाग एवं विद्युत दोष है तो विद्युत बोर्ड द्वारा शीघ्र ठीक किया जाना है।

10. जमुई जिला :

10.1 जिला में 100 के0वी0ए0 का 40 एवं 63 के0वी0ए0 का 69 ट्रान्सफॉरमर खराब हैं। बोर्ड द्वारा बताया गया कि जहाँ पर तार, पोल नहीं हैं तथा जो गाँव De-electrified हैं उनको छोड़कर रिपोर्ट दिया जाना है। 17 ट्रान्सफॉरमर बदल दिया गया है तथा तीन ट्रान्सफॉरमर आज (14.09.2012) बदला जा रहा है।

10.2 फेज–XI के अन्तर्गत 01 सरकारी नलकूप लगाया जाना है। असैनिक कार्य पूरा हो गया है। 14.09.2012 को मोटर लगाया जा रहा है। विद्युतीकरण का कार्य पूरा हो गया है।

10.3 जमुई जिला में सिंचाई हेतु प्रातः 04.00 बजे से मध्याह्न 12.00 बजे तक बिजली की आपूर्त्ति हेतु समय निर्धारित है। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि सिंचाई हेतु लगभग 5–6 घण्टा बिजली की आपूर्त्ति हो पाती है। ब्रेक डाउन आदि के कारण कुछ जगहों में बिजली की आपूर्ति बाधित हो जाती है। विद्युत कार्यपालक अभियन्ता, जमुई द्वारा बताया गया कि दिनांक 13–09–2012 को कोई ब्रेक डाउन नहीं हुआ है। गिद्धौर एवं लक्ष्मणपुर को 08 घंटा बिजली आपूर्त्ति की गयी है। विद्युत कार्यपालक अभियन्ता, जमुई को निर्देश दिया गया कि प्रतिदिन ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धारित अवधि के लिए ब्रेक

डाउन एवं ट्रिपिंग संबंधी रिपोर्ट जिलाधिकारी को देंगे। मुख्य सचिव द्वारा जिलाधिकारी, जमुई को निदेश दिया गया कि वे अन्य स्त्रोत से भी बिजली की उपलब्धता के बारे में जानकारी हासिल करेंगे ताकि सत्यापन किया जा सके।

11. मुँगेर जिलाः

11.1 मुँगेर जिला में सिंचाई हेतु प्रातः 10.00 बजे से अपराह्न 06.00 बजे तक बिजली की आपूर्त्ति हेतु समय निर्धारित है। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि सिंचाई हेतु 4–7 घण्टा बिजली की आपूर्त्ति हो रही है। विभिन्न जगहों में ट्रिपिंग भी होती है। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिले के पाँच प्रखंड में सुल्तानगंज ग्रीड से बिजली मिलती है। कम बिजली की आपूर्त्ति की जाती है जिसके कारण पावर सब–स्टेशन के विभिन्न फीडरों को रोटेशन से बिजली की आपूर्त्ति की जा रही है। महाप्रबन्धक–सह–मुख्य अभियन्ता, भागलपुर द्वारा बताया गया कि सुल्तानगंज ग्रीड सब–स्टेशन से सुल्तानगंज, बेलहर एवं शंभुगंज पावर सब–स्टेशन को बिजली की आपूर्त्ति की जाती है। इन तीन पावर सब–स्टेशन का औसत माँग 27 मेगावाट है परन्तु सुल्तानगंज ग्रीड को वर्त्तमान में 12–15 मेगावाट बिजली मिलती है जिसके कारण फीडर को बारी–बारी से बिजली की आपूर्त्ति की जाती है। कठिनाई की स्थिति में दो पिरियड में बाँट कर विभिन्न क्षेत्रों को सिंचाई हेतु बिजली की आपूर्त्ति किए जाने पर अविलंब विचार किया जाना है तथा सर्वसंबंधित को सूचित किया जाना है।

11.2 पिछले 5 दिनों से 06 ट्रान्सफॉरमर खराब है जिसमें 04 शहरी क्षेत्र के एवं 02 ग्रामीण क्षेत्र का है। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि बोर्ड द्वारा निर्धारित दर पर ट्रान्सपोर्टर कार्य करना नहीं चाहते है। सदस्य (वित्त एवं राजस्व), विद्युत बोर्ड द्वारा बताया गया कि आजतक कोई भी महाप्रबन्धक–सह–मुख्य अभियन्ता ने ट्रान्सपोर्टेशन की दर संबंधी कोई समस्या नहीं बताया है। मुख्य सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि संबंधित एरिया में ट्रान्सफॉरमर के ट्रान्सपोर्टेशन में कितना खर्च बोर्ड द्वारा किया गया है, इसकी जाँच की जानी है। ट्रान्सफॉरमर का ट्रान्सपोर्टेशन उपभोक्ताओं द्वारा करवाया जा रहा है तथा बोर्ड के क्षेत्रीय पदाधिकारी गलत ढ़ग से ट्रान्सपोर्टेशन के मद में पैसा बोर्ड से ले लेते होंगे, इसकी सूक्ष्म जाँच की जानी है। दोषी पदाधिकारियों के विरूद्ध बोर्ड के सतर्कता विभाग द्वारा जाँच की जानी है।

11.3 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि कई गाँव de-electrified हैं जहाँ पोल–तार आदि का काम कर विद्युतीकरण किया जा सकता है तथा सिंचाई हेतु बिजली की आपूर्ति की जा सकती है।

11.4 फेज–XI के अन्तर्गत 08 सरकारी नलकूप स्वीकृत है। असैनिक कार्य पूरा हो गया है। विद्युत बोर्ड द्वारा संवेदक की नियुक्ति हो गयी है परन्तु अभी कार्य शुरू नहीं किया गया है। नलकूपों का ऊर्जान्वयन जल्द करवाया जाना है।

12. लखीसराय जिलाः

12.1 लखीसराय जिला में सिंचाई हेतु प्रातः 10.00 बजे से अपराह्न 06.00 बजे तक बिजली की आपूर्त्ति हेतु समय निर्धारित है। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि सिंचाई हेतु लगभग 5–6 घण्टा बिजली की आपूर्त्ति हो रही है, बीच–बीच में कुछ जगह विद्युत आपूर्त्ति में ब्रेक डाउन आदि के कारण बाधा होती है।

12.2 फेज–XI के अन्तर्गत 17 सरकारी नलकूप लगाये जाने हैं। विद्युतीकरण हेतु बोर्ड द्वारा संवेदक को कार्य आवंटन किया गया है परन्तु अभी कार्य' शुरू नहीं किया गया है। जल्द–से–जल्द सरकारी नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जाना है।

12.3 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिले में 63 के0वी0ए0 का 01 एवं 100 के0वी0ए0 का 04 ट्रान्सफॉरमर खराब है। सुखा क्षेत्र के जितने ट्रान्सफॉरमर खराब हैं उसे शीघ्र बदलने हेतु निर्देश दिया गया।

12.4 लखीसराय में रिकंडक्टरिंग हेतु तार उपलब्ध नहीं है। विद्युत कार्यपालक अभियन्ता, लखीसराय ने कभी भी बोर्ड द्वारा निर्धारित टेम्पलेट में तार हेतु माँग नहीं की है। विद्युत कार्यपालक अभियन्ता, लखीसराय द्वारा बताया गया कि बड़हिया एवं लखीसराय की वितरण व्यवस्था का आर0–ए0पी0डी0आर0पी0 योजना में सुदृढ़ीकरण प्रस्तावित है। प्रधान सचिव (ऊर्जा) द्वारा बताया गया कि बिहार के 71 शहरों में आर0–ए0पी0डी0आर0पी0 योजना के अन्तर्गत कार्य कराया जाना है। परन्तु रिकंडक्टरिंग का कार्य नहीं रोका जाना है। यदि ऐसा confusion है तो उसे दूर किया जाना हैं तथा रिकंडक्टरिंग का कार्य तत्परतापूर्वक कराया जाना है। अध्यक्ष, विद्युत बोर्ड द्वारा निदेश दिया गया कि महाप्रबन्धक, भागलपुर लखीसराय में कैम्प करेंगे तथा रिकंडक्टरिंग हेतु तार उपलब्ध करायेंगे साथ ही जिलाधिकारी, लखीसराय से बात कर उन जर्जर तारों को जिनसे दुर्घटना संभावित है, प्राथमिकता के आधार पर बदलवायगें। मुख्य सचिव द्वारा पूछे जाने पर महाप्रबन्धक, भागलपुर ने बताया कि अपने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं। परन्तु किसी भी बैठक में विद्युत कार्यपालक अभियन्ता, लखीसराय ने तार की अनुपलब्धता के बारे में नहीं बताया। अध्यक्ष, विद्युत बोर्ड द्वारा बताया गया कि बोर्ड द्वारा महाप्रबन्धक को प्रशासनिक अधिकार दिया गया है कि वे अपने अधीनस्थ पदाधिकारी पर अनुशासनिक कार्रवाई कर सकते हैं। यदि महाप्रबन्धक के प्रशासनिक अधिकार से ज्यादा की सजा दी जानी है तो उसके लिए बोर्ड को लिखा जाना है। मुख्य सचिव द्वारा बोर्ड को निर्देश दिया गया कि महाप्रबन्धक–सह–मुख्य अभियन्ता अपने अधीनस्थ दोषी अधिकारियों के विरूद्ध अगर अनुशासनिक कार्रवाई नहीं करते हैं तो उनके विरूद्ध निश्चित रूप से कठोर कार्रवाई की जानी है। जो पदाधिकारी सौपे गये कार्य भलीभाँति नहीं करते हैं

उनके विरूद्ध कठोर अनुशासनिक कार्रवाई यथा निलम्बन एवं बर्खास्तगी आदि की जानी है।

13. भागलपुर जिलाः

13.1 भागलपुर जिला में सिंचाई हेतु प्रातः 10.00 बजे से अपराह्न 06.00 बजे तक बिजली की आपूर्त्ति हेतु समय निर्धारित है। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि सिंचाई हेतु औसत पाँच–साढ़े पाँच घण्टा बिजली की आपूर्त्ति होती है। बीच में विभिन्न जगहों पर व्यवधान भी आता है।

13.2 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिले में 63 के0वी0ए0 का 02 एवं 100 के0वी0ए0 का 09 ट्रान्सफॉरमर खराब है।

13.3 फेज–XI के अन्तर्गत 67 सरकारी नलकूप लगाये जाने हैं। 19 नलकूप कार्यरत है। अन्य नलकूपों का ऊर्जान्वयन प्राथमिकता पर कराया जाना है।

13.4 जिलाधिकारी द्वारा विद्युत आपूर्त्ति प्रमंडल, भागलपुर में कर्मचारियों की कमी की समस्या बताया गया। साथ ही यह भी बताया गया कि जो कर्मचारी हैं वे भी ठीक से काम नहीं करते हैं। विद्युत कार्यपालक अभियन्ता को प्रशासनिक अधिकार नहीं है कि वे दोषी कर्मचारियों के विरूद्ध कोई कार्रवाई कर सकें। अध्यक्ष, विद्युत बोर्ड द्वारा बताया गया कि अराजपत्रित कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई के लिए क्षेत्रीय पदाधिकारियों को अधिकृत किया जा चुका है। मुख्य सचिव द्वारा निर्देश दिया गया कि विद्युत कार्यपालक अभियन्ता को प्रदत्त प्रशासनिक अधिकार के संबंध में बोर्ड द्वारा सभी जिलाधिकारियों को सूचना भेजी जानी है।

13.5 पीरपैंती थर्मल पावर स्टेशन के भूमि अधिग्रहण की शेष प्रक्रिया 15 दिनों में पूरी कर दी जायगी।

13.6 जिन प्रखंडों में एक भी पावर सब स्टेशन नहीं है उनके लिए प्रखंड परिसर में आधा एकड़ जमीन की उपलब्धता के बारे में एक सप्ताह में सूचना दे दी जायगी।

14. पटना जिलाः

14.1 जिलाधिकारी, पटना द्वारा Mini Water Supply के कनेक्शन में अत्यधिक विलंब के बारे में बताया गया। सदस्य(वित्त एवं राजस्व), विद्युत बोर्ड द्वारा बताया गया कि डिपोजिट वर्क (एच0टी0 उपभोक्ता) के मामले में मात्र राशि बोर्ड मुख्यालय में जमा होता है तथा प्राक्कलन क्षेत्रीय स्तर पर ही बनता है। इस तरह के लम्बित कनेक्शन के मामलों का पूरा विवरण प्राप्त कर दोषियों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जानी है। इस प्रणाली का अध्ययन कर इसके सरलीकरण के लिए प्रक्रिया अविलंब तय किया जाना है।

14.2 जिलाधिकारी, पटना द्वारा बताया गया कि बेलछी गाँव में विद्युतीकरण का कार्य नहीं हुआ है। बेलछी में पावर सब–स्टेशन का निर्माण जल्द पूरा किया जाना है।

15. बक्सर जिलाः

15.1 बक्सर जिला में 200 के0वी0ए0 का 02 एवं 100 के0वी0ए0 का 05 ट्रान्सफॉरमर खराब है।

15.2 इटाढ़ी पावर सब–स्टेशन का 33/6.6 के0वी0 का ट्रान्सफॉरमर खराब हो गया है। इसे बदलने के लिए जल्द व्यवस्था की जानी है।

15.3 इटाढ़ी पंप हाउस के बिजली आपूर्त्ति की वोल्टेज तथा ट्रिपिंग की समस्या का समाधान किया जाना है।

15.4 सचिव, लघु जल संसाधन विभाग द्वारा बताया गया कि बक्सर जिला में 32 राजकीय नलकूप को ऊर्जान्वित किया गया है तथा उसका संयुक्त सत्यापन हो गया है। 07 राजकीय नलकूप में विद्युत दोष पाया गया तथा 17 राजकीय नलकूप चल रहे हैं। 08 राजकीय नलकूप में मेकेनिकल दोष पाया गया। मुख्य सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि जिलाधिकारी, बक्सर सभी राजकीय नलकूपों का संयुक्त सत्यापन करायेंगे। विद्युत/यांत्रिक दोष को संबंधित विभाग से ठीक करवायेंगे।

16. भोजपुर जिलाः

16.1 200 के0वी0ए0. का तीन ट्रान्सफॉरमर खराब है। इसे प्राथमिकता पर बदला जाना है।

16.2 विद्युत कनेक्शन मिल जाता है परन्तु पोल तार नहीं रहने के कारण बाँस–बल्ला पर लाईन उपभोक्ताओं द्वारा लाया जाता है। तेज वर्षा एवं आँधी में बाँस–बल्ला गिरने से दुर्घटना एवं विद्युत आपूर्त्ति बाधित हो जाती है। मुख्य सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि बोर्ड द्वारा इस पर शीघ्र कार्रवाई की जानी है।

16.3 मौजमपुर जलापूर्त्ति योजना के लिए विश्वसनीय विद्युत आपूर्त्ति सुनिश्चित की जानी है।

16.4 जिला मुख्यालय में बिलिंग काउण्टर एक ही है जिससे विद्युत विपत्र जमा करने में उपभोक्ताओं को परेशानी होती है। अतः ए0टी0पी0 मशीन की व्यवस्था या बिलिंग काउण्टर की बढ़ाने की जरूरत है।

16.5 कनीय अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता के रिक्त पदों को जल्द भरा जाना है।

17. नवादा जिलाः

17.1 नवादा जिला में सिंचाई हेतु प्रातः 04.00 बजे से प्रातः 10.00 बजे तक बिजली की आपूर्त्ति हेतु समय निर्धारित है। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि निर्धारित अवधि में माँग के अनुसार कई जगहों में विद्युत आपूर्त्ति नहीं हो रही है।

17.2 पावर सब–स्टेशन में protective devices का स्थिति खराब है। नवादा जिला में अतिरिक्त ग्रीड सब–स्टेशन बनाने की आवश्यकता है।

17.3 फेज–XI के अन्तर्गत 30 राजकीय नलकूप लगाये जाने हैं जिसमें से 9 राजकीय नलकूप को ऊर्जान्वित किये जाने की सूचना है। संयुक्त सत्यापन के दौरान 06 में

विद्युत दोष पाया गया। जिलाधिकारी को निदेश दिया गया कि राजकीय नलकूपों का संयुक्त सत्यापन करा कर संबंधित विभाग से ठीक करवाया जाना है।

17.4 पावर ग्रीड द्वारा RGGVY के अंतर्गत कार्य ठीक से नहीं किया गया है तथा हैण्डिंग ओभर / टेकिंग ओभर में गड़बड़ी हुई है। इसकी जाँच की जानी है। इस पर जिला संचालन समिति की बैठक में भी चर्चा हुई है।

18. नालन्दा जिलाः

18.1 नालन्दा जिला में सिंचाई हेतु प्रातः 04.00 बजे से प्रातः 10.00 बजे तक बिजली की आपूर्त्ति हेतु समय निर्धारित है। जिलाधिकारी ने निर्धारित समय को बदल कर पहले जैसा अपराह्न 12.00 बजे से संध्या 06 बजे तक करने का अनुरोध किया। बोर्ड द्वारा इस पर विचार किया जाना है।

18.2 ट्रान्सफॉरमर की आपूर्त्ति की समस्या का निदान निकाला जाना है।

18.3 फेज–XI के अन्तर्गत 116 राजकीय नलकूप लगाये जाने हैं जिनमें से 71 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जा चुका है। 43 ऊर्जान्वित राजकीय नलकूपों का संयुक्त सत्यापन की प्रक्रिया पूरी कर ली गयी है।

18.4 कुछ सर्टिफिकेट केस में ऐसा पाया गया है कि जिस premises पर विद्युत बकाया का केस किया गया है उसी premises पर दूसरे नाम से गलत तरीके से बिजली का कनेक्शन दिया गया है। इसकी जाँच की जानी है एवं दोषी पदाधिकारियों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जानी है।

18.5 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि बिजली के नये कनेक्शन हेतु शिविर लगाया जा रहा है।

18.6 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि अंडवास में पावर सब–स्टेशन के जमीन का हस्तानान्तरण 15 दिनों के अन्दर कर दिया जायगा।

19. अरवल जिलाः

19.1 3.1 एम0वी0ए0 का पावर ट्रान्सफॉरमर खराब है जिसे अभीतक नहीं बदला जा सका है। सकुराबाद से एक पावर ट्रान्सफॉरमर लाया जाना था जो वहाँ की जनता के विरोध के कारण नहीं आ पाया। अध्यक्ष, विद्युत बोर्ड द्वारा बताया गया कि पावर ग्रीड द्वारा अरवल पावर सब–स्टेशन में ट्रान्सफॉरमर लगाया गया जो fail हो गया। सकुराबाद में पावर ग्रीड का अतिरिक्त पावर ट्रान्सफॉरमर है जिसे स्थानीय लोगों द्वारा नहीं लाने दिया जा रहा है। जिलाधिकारी, जहानाबाद ने बताया कि जिलाधिकारी, अरबल से इस संबंध में बात हुई है और दो दिनों के अन्दर लोगों का समझा–बुझा कर इस समस्या का समाधान करा दिया जायगा।

19.2 कलेर प्रखंड में पावर सब–स्टेशन बना हुआ है लेकिन बार–बार तार काटने की घटना के कारण 20 कि0मी0 विद्युतीकरण का कार्य नहीं हुआ है। इसका निदान निकाला

जाना है। राष्ट्रीय उच्चमार्ग के किनारे फीडर ले जाने के विकल्प पर विचार किया जाना है।

20. गया जिलाः

20.1 गया जिला में सिंचाई हेतु अपराह्न 12.00 बजे से सायं 05.00 बजे तक बिजली की आपूर्त्ति हेतु समय निर्धारित है। निर्धारित अवधि में कई जगहों में कम समय के लिए लगातार बिजली मिलती है अन्यथा कट–कट कर बिजली मिलती है। 21 जगहों पर ट्रान्सफॉरमर में गड़बड़ी के कारण बिजली की आपूर्त्ति नहीं हो पा रही है। शेरघाटी ग्रीड वाले क्षेत्र में सिंचाई हेतु बिजली की आपूर्त्ति दो–ढ़ाई घंटा मात्र ही हो पा रही है। इसमें अविलंब सुधार किया जाना है।

20.2 फेज–XI के अन्तर्गत 52 राजकीय नलकूप लगाये जाने हैं। 06 पहले से ऊर्जान्वित है। 16 में कुछ काम शेष है तथा 30 में काम होना है। चार जगहों पर जलापूर्त्ति योजना बिजली दोष के कारण बंद है।

20.3 सड़क के बीच में कुछ जगह पोल लगा हुआ है जिसे हटाया जाना है। पितृपक्ष मेले में भीड़ की दृष्टिकोण से शीघ्र कार्रवाई की जानी है।

20.4 गया में पशुपालन विभाग के कार्यालय का विद्युतीकरण लंबित है।

21. शेखपुरा जिलाः

21.1 शेखपुरा जिला में सिंचाई हेतु प्रातः 04.00 बजे से अपराह्न 12.00 बजे तक बिजली की आपूर्त्ति हेतु समय निर्धारित है। राजकीय नलकूप में जो लॉग–बुक संधारित होता है उसके अनुसार 6–7 घंटा बिजली की आपूर्त्ति होती है।

21.2 फेज–XI के अन्तर्गत 18 राजकीय नलकूप लगाये जाने हैं जिसमें से 15 राजकीय नलकूप को ऊर्जान्वित कर दिया गया है। शेष तीन में से एक नलकूप में ईट–पत्थर भरा हुआ है। मुख्य सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि नलकूप विभाग द्वारा अविलंब कार्रवाई की जानी है।

21.3 जिला में 13 ट्रान्सफॉरमर खराब थे जिनमें 63 के0वी0ए0 का 09 ट्रान्सफॉरमर आ गया है तथा 100 के0वी0ए0 का 04 खराब ट्रान्सफॉरमर बदला जाना है।

22. जहानाबाद जिलाः

22.1 जहानाबाद जिला में सिंचाई हेतु अपराह्न 12.00 बजे से सायं 05.00 बजे तक बिजली की आपूर्त्ति हेतु समय निर्धारित है। निर्धारित अवधि में लगभग बिजली की आपूर्त्ति हो रही है।

22.2 जिले में यदि कैम्प लगाया जाय तो बिजली का नया कनेक्शन अधिक लोगों द्वारा लिया जा सकता है। अध्यक्ष, विद्युत बोर्ड द्वारा बोर्ड के क्षेत्रीय पदाधिकारियों को नये विद्युत संबंध हेतु शिविर लगाने का निदेश दिया गया।

22.3 जिले में कनीय विद्युत अभियन्ता एवं सहायक विद्युत अभियन्ता की कमी है। अध्यक्ष, विद्युत बोर्ड द्वारा अक्टूबर,2012 में कनीय विद्युत अभियन्ता एवं सहायक विद्युत अभियन्ता की पदस्थापन का आश्वासन दिया गया।

22.4 फेज–XI के अन्तर्गत 43 राजकीय नलकूप ऊर्जान्वित होने की स्थिति में है। 17 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जा चुका है। मुख्य सचिव ने निदेश दिया कि जहानाबाद जिला के बचे हुए राजकीय नलकूपों का ऊर्जान्वयन जल्द करवाया जाना है।

23. कैमूर जिलाः

23.1 जिला में 63 के0वी0ए0 का 14, 100 के0वी0ए0 का 20 एवं 200 के0वी0ए0 का 05 ट्रान्सफॉरमर खराब है। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि बोर्ड के क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा बताया जाता है कि ट्रान्सफॉरमर के ट्रान्सपोर्टेशन की दर प्रति ट्रक आठ ट्रान्सफॉरमर के हिसाब से तय है, अतः 1–2 ट्रान्सफॉरमर की ढुलाई करने के लिए ट्रान्सपोर्टर तैयार नहीं होता है।

23.2 फेज–XI के अन्तर्गत 120 राजकीय नलकूप लगाये जाने हैं जिनमें से 110 राजकीय नलकूपों में असैनिक कार्य पूरा हो चुका है। 19 राजकीय नलकूप ऊर्जान्वित किये जा चुके हैं। मुख्य सचिव द्वारा जिलाधिकारी, कैमूर को निदेश दिया गया कि ऊर्जान्वित किये गये राजकीय नलकूपों का संयुक्त सत्यापन करा लिया जाना है।

23.3 कैमूर जिला में सिंचाई हेतु अपराह्न 12.00 बजे से सायं 05.00 बजे तक बिजली की आपूर्त्ति हेतु समय निर्धारित है। औसतन चार से साढ़े चार घण्टा बिजली की आपूर्त्ति हो पा रही है।

23.4 जर्जर तार टूटने से दुर्घटना होती रहती है जिसके कारण विधि–व्यवस्था की भी समस्या उत्पन्न हो जाती है। दुर्घटना में हुई जान–माल की नुकसान हेतु मुआवजा देने की कार्रवाई त्वरित की जानी है। जर्जर तार को बदलने की गति बढ़ायी जानी है।

24. बाँका जिलाः

24.1 बाँका जिला में सिंचाई हेतु प्रातः 04.00 बजे से अपराह्न 12.00 बजे तक बिजली की निर्बाध आपूर्त्ति हेतु समय निर्धारित है। रजौन पावर सब–स्टेशन में 3.15 एम0वी0ए0 का पावर ट्रान्सफॉरमर जला हुआ है जिसके कारण दो फीडर में adequate विद्युत आपूर्त्ति नहीं हो पा रही है। इसे जल्द बदला जाना है।

24.2 जिले में 05 वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब हैं जिन्हें शीघ्र बदले जाने की आवश्यकता है।

24.3 फेज–XI के अन्तर्गत 08 राजकीय नलकूप छिद्रित किये गये हैं। इसका ऊर्जान्वयन किया जाना है।

25. रोहतास जिलाः

25.1 रोहतास जिला में सिंचाई हेतु अपराह्न 12.00 बजे से सायं 05.00 बजे तक बिजली की आपूर्त्ति हेतु समय निर्धारित है। निर्धारित अवधि में बिजली की आपूर्त्ति कुछ जगहों पर बाधित हो जाती है।

25.2 फेज–XI के अन्तर्गत 56 राजकीय नलकूप लगाये जाने हैं। 22 राजकीय नलकूप को ऊर्जान्वित किया जा चुका है।

25.3 तीन पावर सब स्टेशन के उपभोक्तागण द्वारा बिजली की बकाया का भुगतान नहीं किया जा रहा है। इसके भुगतान दिलाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा मदद की जानी है।

26. औरंगाबाद जिलाः

26.1 जिला में 200 के0वी0ए0 का 02, 100 के0वी0ए0 का 02 एवं 63 के0वी0ए0 का 09 ट्रान्सफॉरमर जला हुआ है जिसे बदला जाना है। मुख्य अभियन्ता (ओ0 एण्ड एम0), विद्युत बोर्ड द्वारा बताया गया कि जल्द ही खराब ट्रान्सफॉरमर बदल दिये जायेंगे।

26.2 औरंगाबाद जिला में सिंचाई हेतु अपराह्न 12.00 बजे से सायं 05.00 बजे तक बिजली की आपूर्त्ति हेतु समय निर्धारित है। निर्धारित अवधि में साढ़े चार घण्टा बिजली की आपूर्त्ति हो रही है।

26.3 फेज–XI के अन्तर्गत 17 राजकीय नलकूप लगाये जाने हैं। सभी 17 राजकीय नलकूपों का असैनिक कार्य पूरा हो गया है। विद्युतीकरण का कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है। मुख्य सचिव ने निदेश दिया कि इसका विद्युतीकरण का कार्य जल्द–से–जल्द शुरू कराया जाना है ताकि किसानों को सिंचाई की सुविधा प्राप्त हो सके।

27. मधुबनी जिलाः

27.1 जिलाधिकारी को प्राप्त सूचना के आधार पर जिला में 58 ट्रान्सफॉरमर जला हुआ है जबकि बिजली बोर्ड द्वारा मात्र 27 ट्रान्सफॉरमर की सूचना है। इसे reconcile किया जाना है।

27.2 फेज–XI के अन्तर्गत 100 राजकीय नलकूप लगाये जाने हैं। इनमें से 61 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जा चुका है जिसमें से 21 राजकीय नलकूपों का संयुक्त सत्यापन हुआ है। संयुक्त सत्यापित राजकीय नलकूपों में 04 में विद्युत दोष एवं 03 में मेकेनिकल दोष है। मुख्य सचिव ने निदेश दिया कि जहाँ बिजली बोर्ड द्वारा राजकीय नलकूप ऊर्जान्वित कर दिये जाने का रिपोर्ट दिया गया है, यदि उसमें कोई गड़बडी है तो उसे ठीक करा लिया जाना है तत्पश्चात् शेष राजकीय नलकूपों के विद्युतीकरण कार्य तेजी से कराया जाना है। अध्यक्ष, विद्युत बोर्ड द्वारा महाप्रबन्धक, दरभंगा को निदेश दिया गया कि विद्युत दोष वाले ऊर्जान्वित राजकीय नलकूपों को ठीक कर लघु जल संसाधन विभाग को अविलंब सौंप दे।

27.3 मधुबनी जिला में सिंचाई हेतु प्रातः 04.00 बजे से प्रातः 10.00 बजे तक बिजली की निर्बाध आपूर्त्ति हेतु समय निर्धारित है। निर्धारित अवधि में लगभग 05 घण्टा बिजली की आपूर्त्ति होती है। वितरण ट्रान्सफॉरमर तत्परता से बदला जाना है। मुख्य सचिव ने निदेश दिया कि बोर्ड द्वारा मधुबनी जिला की बिजली की समस्या का समाधान शीघ्र किया जाना है क्योंकि यह जिला वर्षापात कम होने के कारण अतिप्रभावित है।

27.4 मधुबनी के सदर अस्पताल का ट्रान्सफॉरमर खराब है जिसे जल्द बदला जाना है।

28. दरभंगा जिलाः

28.1 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिला में 12 ट्रान्सफॉरमर खराब है जिसे बदला जाना है।

28.2 फेज–XI के अन्तर्गत 95 राजकीय नलकूप लगाये जाने हैं। इनमें से 21 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जा चुका है। ऊर्जान्वित 09 राजकीय नलकूप चालू है। 88 उदवह सिंचाई में से 13 चालू है। 75 जो चालू नहीं है उसमें से 04 में बिजली की समस्या है। प्रधान सचिव (ऊर्जा) ने निदेश दिया कि उदवह सिंचाई में जहाँ तत्काल सिर्फ ट्रान्सफॉरमर बदलने से चालू हो सकता है उसे चिन्हित कर तुरत कार्रवाई की जानी है।

राजकीय नलकूप के पंप ऑपरेटर की भी समस्या है। एक–एक नलकूप ऑपरेटर को कई नलकूपों का चार्ज दिया गया है।

28.3 दरभंगा जिला में सिंचाई हेतु प्रातः 04.00 बजे से प्रातः 10.00 बजे तक बिजली की आपूर्त्ति हेतु समय निर्धारित है। निर्धारित अवधि में कुछ जगहों में लगभग 03–04 घण्टा बिजली मिलती है। इसे सुधारा जाना है।

28.4 बेनीपुर सब जेल में लो–वोल्टेज की समस्या है जिसे शीघ्र ठीक कराने की आवश्यकता है।

28.5 बोर्ड के स्थानीय अधिकारियों द्वारा फोन पर respond नहीं किये जाने की शिकायत उपभोक्तागण द्वारा की गयी है।

29. समस्तीपुर जिलाः

29.1 समस्तीपुर जिला में सिंचाई हेतु प्रातः 04.00 बजे से प्रातः 10.00 बजे तक बिजली की आपूर्त्ति हेतु समय निर्धारित है। निर्धारित अवधि में बिजली आपूर्त्ति हो रही है।

29.2 फेज–XI के अन्तर्गत 128 राजकीय नलकूप लगाये जाने हैं। 82 राजकीय नलकूपो को ऊर्जान्वित किया जा चुका है जिसमें से 35 का संयुक्त सत्यापन भी हो चुका है।

29.3 जिले में कुल 45 ट्रान्सफॉरमर खराब है जिसे जल्द बदला जाना है।

30. छपरा जिलाः

30.1 छपरा जिला में सिंचाई हेतु प्रातः 04.00 बजे से प्रातः 10.00 बजे तक बिजली की आपूर्त्ति हेतु समय निर्धारित है। निर्धारित अवधि में कुछ जगहों में कम अवधि के लिए बिजली गाँव में मिलती है।

30.2 जिला में कुल 121 ट्रान्सफॉरमर खराब होने की सूचना है परन्तु विद्युत बोर्ड द्वारा मात्र 06 ट्रान्सफॉरमर खराब बताया गया है। इसे reconcile किया जाना है।

30.3 फेज–XI के अन्तर्गत 115 राजकीय नलकूप छिद्रित किये गये हैं। अभीतक एक भी राजकीय नलकूप को ऊर्जान्वित नहीं किया जा सका है। इस पर बोर्ड द्वारा तुरत कार्रवाई की जानी है।

30.4 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि विद्युत आपूर्त्ति प्रमंडल (पश्चिमी), छपरा में स्वीकृत पदों की तुलना में कर्मियों की संख्या बहुत कम है। अध्यक्ष, विद्युत बोर्ड द्वारा बताया गया कि बोर्ड के बहुत सारे कार्य जैसे मिटरिंग, बिलिंग, बिल डिस्ट्रीब्यूसन इत्यादि बाहरी एजेन्सियों द्वारा कराया जा रहा है। लाईन मेन्टेनेन्स इत्यादि के लिए 400 कनीय सारणी पुरूष की नियुक्ति हाल में की गयी है। छपरा के मेन्टेनेन्स स्टाफ की समीक्षा कर बोर्ड द्वारा उचित कार्रवाई की जानी है। बिजली चोरी रोकने हेतु भी जिलाधिकारी, छपरा को कार्रवाई के लिए निदेश दिया गया।

31. गोपालगंजः

31.1 गोपालगंज जिला में सिंचाई हेतु प्रातः 04.00 बजे से प्रातः 10.00 बजे तक बिजली की आपूर्त्ति हेतु समय निर्धारित है। पहले कुछ जगहों में कम समय तक बिजली मिलती थी परन्तु अभी आपूर्त्ति में सुधार हुआ है।

31.2 फेज–XI के अन्तर्गत 90 राजकीय नलकूप लगाये जाने हैं। 13 राजकीय नलकूप ऊर्जान्वित किये जा चुके हैं जिसमें से 05 चालू है तथा 08 में यांत्रिक दोष है।

31.3 जिला में 30 ट्रान्सफॉरमर खराब हैं। इसे जल्द बदलवाने की कार्रवाई की जानी है।

31.4 जिला मुख्यालय में कुछ 200 के0वी0ए0 ट्रान्सफॉरमर की जरूरत है। अध्यक्ष, विद्युत बोर्ड ने मुख्य अभियन्ता (ओ0 एण्ड एम0) को निदेश दिया कि तुरत 200 के0वी0ए0 का ट्रान्सफॉरमर उपलब्ध कराया जाय।

31.5 जिले में तीन प्रखण्ड ऐसे हैं जहाँ पावर सब–स्टेशन नहीं है यथा कटैया, माझाँ एवं थावे। माझा प्रखण्ड जहाँ जमीन का अधिग्रहण हुआ था परन्तु पावर सब–स्टेशन नहीं बन पाया। पूरक ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में माझाँ सब स्टेशन के शेष कार्य को पूरा करने की योजना है। अन्य प्रखण्डों के लिए प्रखण्ड परिसर में ही आधा एकड़ जमीन पावर सब स्टेशन हेतु उपलब्ध कराया जाना है।

32. पूर्वी चम्पारण जिलाः

32.1 पूर्वी चम्पारण जिला में सिंचाई हेतु अपराह्न 12.00 बजे से सायं 05.00 बजे तक बिजली की आपूर्त्ति हेतु समय निर्धारित है। बहुत जगह कम समय तक ही बिजली उपलब्ध रहती है। विद्युत अधीक्षण अभियन्ता, मोतीहारी ने बताया कि साढ़े चार घण्टा से पाँच घण्टा बिजली मिलती है। ढाका क्षेत्र में पावर ट्रान्सफॉरमर जला हुआ है जिसके कारण रोटेशन कर ग्रामीण फीडर को बिजली दी जा रही है। मुख्य सचिव ने निदेश दिया कि सभी गड़बड़ियों को दूर कर निर्धारित अवधि में बिजली की आपूर्त्ति सुनिश्चित की जानी है।

32.2 फेज–XI के अन्तर्गत 123 राजकीय नलकूप लगाये जाने हैं। इनमें से 16 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जा चुका है। 05 राजकीय नलकूपों में एक सप्ताह के अन्दर ऊर्जान्वित किया जायेगा। एजेन्सी का कार्य धीमा है। मुख्य सचिव ने निदेश दिया कि विद्युत अधीक्षण अभियन्ता, मोतीहारी राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित करने के कार्य में तेजी लायें।

32.3 जिलाधिकारी, पूर्वी चम्पारण द्वारा 09 प्रखण्डों में जहाँ वर्त्तमान में एक भी पावर सब स्टेशन नहीं है वहाँ पावर सब–स्टेशन बनाने हेतु 50 डिसिमल जमीन प्रखंड परिसर में देने का आश्वासन दिया गया।

33. पश्चिमी चम्पारणः

33.1 जिला में 47 ट्रान्सफॉरमर (200 के.वी.ए. का 03, 100 के.वी.ए. का 29 एवं 63 के.वी.ए. का 15) जला हुआ है। इसमें से 09 ट्रान्सफॉरमर शहरी क्षेत्र का है जो हाल में खराब हुआ है। इसे शीघ्र बदला जाना है।

33.2 फेज–XI के अन्तर्गत 100 राजकीय नलकूप लगाये जाने हैं। 99 में असैनिक कार्य पूरा हो गया है। 13 राजकीय नलकूपों के विद्युतीकरण का कार्य प्रगति पर है।

33.3 पी.एच.ई.डी. के पेय–जल का 04 पम्प, दो पम्प का ट्रान्सफॉरमर खराब रहने एवं दो में लो–वोल्टेज के कारण बंद है। इसे तुरत ठीक किया जाना है।

33.4 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिला के मासिक समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि कनीय विद्युत अभियन्ता एवं सहायक विद्युत अभियन्ता के स्तर पर सूचना लेने का कोई तंत्र नहीं है। अतः पायलट कंज्यूमर बहाल किया जाना है तथा उसका मोबाईल नं0 लिया जाना है ताकि बिजली से संबंधित सभी सूचना प्राप्त किया जा सके।

33.5 बेतिया एवं रामनगर में तार जर्जर स्थिति में है। इसे तुरत बदला जाना है।

33.6 जिले में बिजली बिल में गड़बड़ी की ज्यादा शिकायत है।

34. सीवान जिलाः

34.1 सीवान जिला में सिंचाई हेतु प्रातः 04.00 बजे से प्रातः 10.00 बजे तक बिजली की आपूर्त्ति हेतु समय निर्धारित है। कुछ प्रखंड में मात्र दो–तीन घण्टा ही बिजली मिल पा रही है। नौतन प्रखण्ड में बिजली आपूर्त्ति असंतोषप्रद है।

34.2 फेज–XI के अन्तर्गत 98 राजकीय नलकूप छिद्रित किये गये हैं। राजकीय नलकूप के विद्युतीकरण का कार्य प्राथमिकता पर कराया जाना है।

35. मुजफ्फरपुर जिलाः

35.1 जिला में कुल 43 ट्रान्सफॉरमर खराब हैं जिनमें अधिकतर 63 के.वी. का है। शहरी क्षेत्र का कोई भी ट्रान्सफॉरमर जला हुआ नहीं है।

35.2 मुजफ्फरपुर जिला में सिंचाई हेतु अपराह्न 12.00 बजे से सायं 05.00 बजे तक बिजली की आपूर्त्ति हेतु समय निर्धारित है। पिछले दो सप्ताह से औसतन 04 घण्टा बिजली की आपूर्त्ति हो रही है।

35.3 फेज–XI के अन्तर्गत 123 राजकीय नलकूप लगाये जाने हैं। इनमें से 117 जगहों पर असैनिक कार्य पूरा हो गया है। 51 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जा चुका है। संयुक्त सत्यापन के दौरान 17 में विद्युत दोष पाया गया। अध्यक्ष, विद्युत बोर्ड ने विद्युत अधीक्षण अभियन्ता, मुजफ्फरपुर को निदेश दिया कि सही स्थिति बोर्ड को रिपोर्ट की जानी है तथा पूर्णरूपेण ऊर्जान्वित होने पर ही उसे ऊर्जान्वित घोषित किया जाना है। तीन एजेन्सी द्वारा राजकीय नलकूपों के विद्युतीकरण का कार्य कराया जा रहा है जिसमें एक एजेन्सी कार्य नहीं कर रहा है।

35.4 मुजफ्फरपुर के शहरी क्षेत्र का पावर एलौकेशन बढ़ाये जाने हेतु जिलाधिकारी द्वारा अनुरोध किया गया।

36. वैशाली जिलाः

36.1 मुजफ्फरपुर जिला में सिंचाई हेतु अपराह्न 12.00 बजे से सायं 05.00 बजे तक बिजली की आपूर्त्ति हेतु समय निर्धारित है। कुछ जगहों में लगभगे तीन घण्टा ही बिजली की आपूर्त्ति हो रही है। इसे सुधारा जाना है।

36.2 वैशाली ग्रीड सब–स्टेशन को कम–से–कम 50 मेगावाट पावर एलौकेशन दिये जाने हेतु जिलाधिकारी द्वारा अनुरोध किया गया। साथ ही यह भी अनुरोध किया गया कि बैशाली ग्रीड सब–स्टेशन से महुआ, पातेपुर एवं गोरौल पावर सब–स्टेश को हटा कर हाजीपुर ग्रीड सब–स्टेशन से जोड़ने पर विचार किया जाना है। सोनपुर पावर सब–स्टेशन को हाजीपुर ग्रीड सब–स्टेशन से हटा कर शीतलपुर ग्रीड सब–स्टेशन से जोड़ने पर विचार किया जाना है।

36.3 विद्युत विपत्र में हो रही त्रुटियों को दूर करने हेतु समय निर्धारित किया जाना चाहिए। राघोपुर में दो सप्ताह से फतुहा से बिजली आपूर्त्ति बाधित है। इसे अविलंब चालू किया जाना है।

37. सीतामढ़ी जिला:

37.1 सीतामढ़ी जिला में सिंचाई हेतु प्रातः 04.00 बजे से प्रातः 10.00 बजे तक बिजली की आपूर्त्ति हेतु समय निर्धारित है। कुछ जगहों में औसतन चार घण्टा बिजली की आपूर्त्ति हो रही है।

37.2 जिला में 52 ट्रान्सफॉरमर जला हुआ है जिनमें से 07 शहरी क्षेत्र का है जिसे अभीतक नहीं बदला गया है। खराब ट्रान्सफॉरमर की संख्या reconcile की जानी है। बोर्ड द्वारा ट्रान्सफॉरमर ट्रान्सपोर्टेशन की तय दर पर संवेदक काम करने को तैयार नहीं है। विद्युत कार्यपालक अभियन्ता द्वारा बताया गया कि उन्हें किसी प्रकार का वित्तीय अधिकार नहीं है।

37.3 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि सर्किट ब्रेकर नहीं रहने के कारण एवं उचित फ्यूज का उपयोग नहीं करने के कारण बार–बार ट्रान्सफॉरमर खराब होता है। अतः इस दिशा में अविलम्ब कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

37.4 सीतामढ़ी में बोर्ड का एक भंडार होना आवश्यक है।

37.5 फेज–XI के अन्तर्गत 104 राजकीय नलकूप लगाये जाने हैं। 43 राजकीय नलकूप ऊर्जान्वित किये जा चुके हैं जिनमें से 24 राजकीय नलकूपों में विद्युत दोष पाया गया। इसे तुरत ठीक किया जाना है।

38. पूर्णिया जिला:

38.1 पूर्णियाँ जिला में सिंचाई हेतु प्रातः 04.00 बजे से प्रातः 10.00 बजे तक बिजली की आपूर्त्ति हेतु समय निर्धारित है। सभी फीडर में लगभग 05 घण्टा बिजली की आपूर्त्ति हो रही है। जिलाधिकारी द्वारा सिंचाई हेतु निर्धारित अवधि 04.00 बजे से प्रातः 10.00 बजे की जगह प्रातः 06.00 बजे से अपराह्न 12.00 बजे तक करने का अनुरोध किया गया।

38.2 फेज–XI के अन्तर्गत 51 राजकीय नलकूप लगाये जाने हैं। 37 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जा चुका है जिसमें 18 राजकीय नलकूप चालू है। बकिये 14 राजकीय नलकूपों में शेष कार्य एजेन्सी द्वारा जल्द पूरा किया जाना है।

38.3 09 ट्रान्सफॉरमर जले हुए हैं जो ग्रामीण क्षेत्र का है। इसे शीघ्र बदला जाना है।

38.4 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि बिजली चोरी रोकने हेतु combing operation की आवश्यकता है। जिला प्रशासन द्वारा हर संभव मदद दी जायगी।

38.5 विद्युत विपत्रीकरण में कार्यरत एजेन्सी द्वारा मनमानी किया जा रहा है एवं विपत्र में काफी त्रुटियाँ पायी जा रही है।

39. बेगुसराय जिलाः

39.1 बेगुसराय जिला में सिंचाई हेतु प्रातः 04.00 बजे से अपराह्न 12.00 बजे तक बिजली की आपूर्त्ति हेतु समय निर्धारित है। बरौनी विद्युत प्रमंडल में 5–6 घण्टा एवं बेगुसराय विद्युत प्रमंडल में 3–4 घण्टा बिजली की आपूर्त्ति हो रही है।

39.2 जिला में 41 ट्रान्सफॉमर जला हुआ है। जिलाधिकारी द्वारा अनुरोध किया गया कि जो भी टी0आर0डब्ल्यू0 या भंडार है उसका MIS Database बना दिया जाय तथा उसे बोर्ड के वेबसाईट पर उपलब्ध करा दिया जाय ताकि सभी को इसकी जानकारी प्राप्त हो सके।

39.3 फेज–XI के अन्तर्गत 94 राजकीय नलकूप लगाये जाने हैं। 25 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जा चुका है जिसमें से 11 चालू हैं तथा 14 जगहों पर अभी मोटर नहीं लग पाया है।

39.4 साम्हा–अखा–खूरा एवं मटिहानी में जमीन अधिग्रहण हेतु जिलाधिकारी, बेगुसराय को प्रधान सचिव (ऊर्जा) द्वारा निदेश दिया गया कि आपत्ति रहित प्रमाण–पत्र शीघ्र निर्गत कर दिया जाय।

39.5 जीरो माईल से बेगुसराय डबल सर्किट लाईन जा रहा है जिसमें रेलवे द्वारा आपत्ति की जा रही है। ROW में आपत्ति की स्थिति में जिलाधिकारी को वैधानिक रूप से शक्ति प्रदान की गयी है लेकिन रेलवे के विरूद्ध इसके कार्यान्वयन में कठिनाई आ सकती है।

39.6 जीरो माईल के पास ट्रान्सफॉरमर रिपेयर कारखाना के लिए जमीन उपलब्ध है। इसकी स्थापना पर विचार किया जाना है।

40. खगड़िया जिलाः

40.1 खगड़िया जिला में सिंचाई हेतु प्रातः 04.00 बजे से प्रातः 10.00 बजे तक बिजली की आपूर्त्ति हेतु समय निर्धारित है। कई जगहों में औसत दो से ढ़ाई घण्टा बिजली की आपूर्त्ति हो रही है।

40.2 जिला में RGGVY के तहत चार पावर सब–स्टेशन बनाया जा रहा है। जिसका निर्माण जल्द पूरा किया जाना है।

40.3 फेज–XI के अन्तर्गत 11 राजकीय नलकूप लगाये जाने हैं। तीन राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जा चुका है।

41. अररिया जिलाः

41.1 अररिया जिला में सिंचाई हेतु अपराह्न 12.00 बजे से सायं 05.00 बजे तक बिजली की आपूर्त्ति हेतु समय निर्धारित है। कुछ प्रखंड को छोड़ कर जहाँ बराबर ब्रेक डाउन हो जाता है। औसतन 05 घण्टा बिजली की आपूर्त्ति हो रही है। लाईनमैन नहीं रहने के कारण लाईन मेन्टेनेन्स में दिक्कत होती है।

41.2 फेज–XI के अन्तर्गत 38 राजकीय नलकूप छिद्रित किये गये हैं। 17 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जा चुका है जिनमें से 15 का संयुक्त सत्यापन हो चुका है।

41.3 जिला में 28 ट्रान्सफॉरमर खराब हुआ है जिसे शीघ्र बदलने की कार्रवाई की जानी है।

41.4 जले एवं खराब मीटर को समय पर नहीं बदला जा रहा है।

41.5 कार्यरत बिलिंग एजेन्सी के स्टाफ प्रशिक्षित नहीं हैं जिसके कारण गलत विपत्रीकरण की शिकायत अधिक है।

41.6 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि बिजली चोरी को रोकने के लिए जिला प्रशासन मदद करेगी।

41.7 RGGVY असफल रहा है। इसकी खामियों को दूर किया जाना है।

42. कटिहार जिलाः

42.1 कटिहार जिला में सिंचाई हेतु प्रातः 04.00 बजे से प्रातः 10.00 बजे तक बिजली की आपूर्त्ति हेतु समय निर्धारित है। कुछ जगहों में मात्र तीन घण्टा बिजली उपलब्ध रहता है। इसे सुधारा जाना है।

42.2 फेज–XI के अन्तर्गत 54 राजकीय नलकूप छिद्रित किये गये हैं। 18 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जा चुका है एवं सभी चालू है।

42.3 पी.एच.ई.डी. के 13 वाटर टावर में से 06 काम नहीं कर रहा है। जिसमें से 04 जगहों पर लो–वोल्टेज एवं दो जगहों पर बिजली का तार टूटा हुआ है।

42.4 सिंचाई हेतु ˙ एक एच.पी. मोटर का एग्रीकल्चर कनेक्शन दिये जाने में फील्ड स्तर पर आपत्ति व्यक्त की जा रही है। बोर्ड द्वारा इसे examine किया जाना है।

42.5 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि गलत विपत्रीकरण की शिकायत अधिक संख्या में प्राप्त हो रही है।

42.6 जिले में RGGVY के कार्य की गति बहुत धीमी है।

43. किशनगंज जिलाः

43.1 किशनगंज जिला में सिंचाई हेतु अपराह्न 12.00 बजे से सायं 05.00 बजे तक बिजली की आपूर्त्ति हेतु समय निर्धारित है। कुछ जगहों मे तीन–चार घंटा मात्र बिजली की आपूर्त्ति हो रही है।

43.2 जिला में 14 ट्रान्सफॉरमर खरा है जिसे शीघ्र बदलने की आवश्यकता है।

43.3 फेज–XI के अन्तर्गत 95 राजकीय नलकूप छिद्रित किये गये हैं। दो राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया गया है जो चालू है। शेष 93 राजकीय नलकूपों में से 88 जगहों पर मोटर लगा दिया गया है। विद्युतीकरण के कार्य करने वाला एजेन्सी काम नहीं कर रहा है।

43.4 सेवा–यात्रा के दौरान 25 मेगावाट बिजली देने का आश्वासन दिया गया था परन्तु आजकल कम बिजली उपलब्ध हो रही है।

44. सहरसा जिलाः

44.1 सहरसा जिला में सिंचाई हेतु प्रातः 04.00 बजे से प्रातः 10.00 बजे तक बिजली की आपूर्त्ति हेतु समय निर्धारित है। चार प्रखंड में मात्र 03 घंटा एवं शेष प्रखण्डों में लगभग 05 घण्टा बिजली की आपूर्त्ति की जा रही है।

44.2 जिला में 59 ट्रान्सफॉरमर खराब हैं। इसे शीघ्र बदला जाना आवश्यक है।

44.3 विद्युत आपूर्त्ति प्रमंडल में विद्युत कार्यपालक अभियन्ता पदस्थापित नहीं है।

44.4 शहरी क्षेत्र में तार जर्जर स्थिति में है। जिसे शीघ्र बदलने की कार्रवाई की जानी है।

44.5 फेज–XI के अन्तर्गत 27 राजकीय नलकूप छिद्रित किये गये हैं। कोई भी राजकीय नलकूल ऊर्जान्वित नहीं किया गया है। विद्युत अधीक्षण अभियन्ता, सहरसा द्वारा बताया गया कि एजेन्सी द्वारा सिर्फ पोल गाड़ा गया है।

44.6 बनमा इटहरी में पावर सब–स्टेशन के लिए जमीन का धारा 7/17 की कार्रवाई हो गयी है तथा 20–09–2012 तक कब्जा दिलवा देने की बात जिलाधिकारी, सहरसा द्वारा कहा गया। उक्त जमीन का चार हिस्सेदार है उसमें से तीन हिस्सेदार पैसा लेने के लिए तैयार हो गया है तथा एक हिस्सेदार पैसा लेने के लिए तैयार नहीं है।

45. सुपौल जिलाः

45.1 फेज–XI के अन्तर्गत 31 राजकीय नलकूप छिद्रित किये गये हैं। 15 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किये जाने का रिपोर्ट किया गया है।

45.2 सुपौल जिला में सिंचाई हेतु अपराह्न 12.00 बजे से सायं 05.00 बजे तक बिजली की आपूर्त्ति हेतु समय निर्धारित है। प्रखंडों के रिपोर्ट के अनुसार लगभग 3–5 घण्टा बिजली की आपूर्त्ति की जा रही है।

45.3 जिला में 10 ट्रान्सफॉरमर खराब है जिसे शीघ्र बदलवाने की कार्रवाई की जानी है।

45.4 जिलाधिकारी द्वारा छातापुर के चार गाँव में बिजली को पुनर्जिवित करने का अनुरोध किया गया।

45.5 तार गिरने के कारण जान–माल की हानि होने की स्थिति में मुआवजा की policy स्पष्ट नहीं होने के कारण जिला प्रशासन द्वारा मुआवजा की घोषणा करने में परेशानी होती है।

45.6 प्रखण्ड स्तर पर जनता दरबार लगाया गया था जिसमें गलत विद्युत विपत्र का मामला अधिक संख्या में प्राप्त हुआ था। सही विपत्रीकरण हेतु कार्रवाई की जाने की आवश्यकता है।

46. मधेपुरा जिलाः

46.1 मधेपुरा जिला में सिंचाई हेतु अपराह्न 12.00 बजे से सायं 05.00 बजे तक बिजली की आपूर्त्ति हेतु समय निर्धारित है। निर्धारित अवधि में बिजली की आपूर्त्ति सिंचाई हेतु हो रही है।

46.2 जिला में 29 ट्रान्सफॉरमर खराब है जिसे अविलम्ब बदले जाने की कार्रवाई किये जाने की आवश्यकता है।

46.3 फेज–XI के अन्तर्गत 45 राजकीय नलकूप छिद्रित किये गये हैं। 44 राजकीय नलकूप ऊर्जान्वित होना बाकी है। इसका ऊर्जान्वयन जल्द कराया जाना है।

46.4 मधेपुरा में बोर्ड का प्रमंडलीय भंडार नहीं है। जिलाधिकारी द्वारा अनुरोध किया गया कि मधेपुरा में बोर्ड का प्रमंडलीय भंडार की स्थापना पर विचार किया जाना है।

(ए0 के0 सिन्हा)
मुख्य सचिव

बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक–प्र02 / विविध वि0 को0–19 / 12– 4218 पटना, दिनांक 20/9/12

प्रतिलिपिः–सभी प्रधान सचिव / सचिव / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/9/12
सरकार के संयुक्त सचिव,
ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–प्र02 / विविध वि0 को0–19 / 12– 4218 पटना, दिनांक 20/9/12

प्रतिलिपिः–अध्यक्ष, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, पटना को सूचनार्थ । अनुरोध है कि कार्यवाही की प्रति अपने स्तर से बोर्ड के संबंधित सभी पदाधिकारी को अनुपालन हेतु प्रेषित करने की कृपा की जाय।

20/9/12
सरकार के संयुक्त सचिव,
ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना।